भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1395
जिसका उत्तर गुरुवार, 09 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने में असाधारण विलंब

1395 श्री नीरज डांगी :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकारी प्राधिकारियों द्वारा उसके समक्ष अपील दायर करने में अत्यधिक विलंब करने का उल्लेख किया है;
(ख) उच्चतम न्यायालय के समक्ष कितनी अपील लंबित हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; (ग) क्या सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने और विलंब के कारण भारी लागत लगने को रोकने के लिए कोई कदम उठाया है ;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जी हां । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक बार अपील / याचिकाओं को फ़ाइल करते समय परिसीमा काल को बनाए रखने की आवश्यकता संबंधी मताभिव्यक्ति की है। सरकारों / राज्य प्राधिकारियों द्वारा अपील / याचिकाओं को फ़ाइल करने में अत्यधिक विलंब के मुद्दे पर एक ऐसा निर्णय एसएलपी(सी) डायरी सं 2020 का 9217,शीर्षक स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश बनाम भेरेलल निर्दिष्ट किया जाए।

(ख) : एकीकृत मामला प्रबंध सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) से अभिप्राप्त डाटा के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित अपीलों की संख्या 6.12.2021 तक, निम्नलिखित सारणीबद्ध ब्यौरों के अनुसार 64,229 है :

मामले का प्रकार	लंबित मामलों की संख्या
सिविल अपील	18,016
दांडिक अपील	5,069
एसएलपी(सी)	31,714
एसएलपी (दांडिक)	9,430
कुल	64,229

(ग) और (घ) : सरकार ने संघ सरकार की मुकद्दमेबाजी की मानीटरी करने के प्रयोजन के लिए एक वेब प्लेटफार्म अर्थात विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्ब्स) का सृजन किया है। लिम्ब्स प्लेटफार्म,मामलों में विलंब से बचने के लिए संघ सरकार की मुकद्दमेबाजी की दक्ष मानीटरी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सतत सुधार और उन्नयन के अधीन है।

(ड.) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

****